इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 15, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्र. 24867-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 27 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर 2012 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०१२.

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१२.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३२ में, उपधारा (६) में, खण्ड (ढ) में, शब्द ''माल या'' का लोप किया जाए.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन. ३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा १२७ में, उपधारा (६) में, खण्ड (ढ) में, शब्द ''माल या'' का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रेरक वातावरण सृजित करने की दृष्टि से, नगरपालिकाओं द्वारा, उनकी सीमाओं से निर्यात किए गए माल के संबंध में, उद्गृहीत सीमाकर को समाप्त करने का विनिश्चय किया गया है. अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २३ नवम्बर, २०१२.

बाबूलाल गौर
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 16, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 7540-359-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 27 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 27 of 2012.

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO. 23 of 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956. 2. In Section 132 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), in sub-section (6), in clause (n), the words "goods or" shall be omitted.

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALTIES ACT, 1961 (NO. 37 of 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961. 3. In Section 127 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), in sub-section (6), in clause (n), the words "goods or" shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to create conducive environment for the industrial sector in the State, it is decided to abolish terminal tax being levied by the Municipalities in respect of the goods exported from their limits. Therefore necessary amendments are proposed in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 23rd November, 2012.

BABOO LAL GAUR
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.